वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रबंध मंडल की 105 वीं बैठक

26 मई, 2023

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 105 वीं (आपात) बैठक दिनांक 26 मई, 2023 को मध्यान्ह् पूर्व 11.30 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में माननीय कुलपति महोदय, की अध्यक्षता में (ऑनलाईन/ऑफलाईन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. डॉ0 कैलाश सोडाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2. डॉ0 सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान संत विनोबा पी.जी.कॉलेज, देवरिया–उ0प्र0	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
3. डॉ0 सतोष कुमार शील देहरादून – उत्तराखण्ड	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
4. प्रो0 मनरूप सिंह समकुलपति, इं.गा.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
5. डा0फिरोज अख्तर खान संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ.शिक्षा विभाग राज0सरकार।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
डा0 लोकेन्द्र सिंह, कोषाधिकारी,कोटा प्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त,कोटा ।	सदस्य
6. प्रो0 बी0 अरूण कुमार आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य

7. डा0 अनिल कुमार जैन निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें), वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
8. डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा निदेशक, क्षे.के., जयपुर।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
9. श्री महेश चंद मीना नियंत्रक (वित्त) व0म0खु0वि0वि,कोटा।	विशेष आमंत्रित
10. श्री के.के. गोयल कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सदन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रबंध मंडल की आपात बैठक आयोजित किए जाने के कारणों से सदन को अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात कुलसचिव ने माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक का बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया एवं निम्न निर्णय लिए गए।

105/01 01 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों द्वारा नवीन पेंशन योजना के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा लागू की गई घोषणा के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प भरने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत, वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश संख्या– प.13(12)वित्त(नियम)/2021 दिनांक 20 अप्रेल, 2023 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय किया गया।

प्रबंध मंडल के सदस्यों ने विश्वविद्यालय कार्मिकों की समस्या एवं हितो के मद्वेनजर यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के सम्बन्ध में जो मानदंड राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए है उन्हीं मानदंडों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। इस सुझाव के क्रम में विश्वविद्यालय की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए।

105/02 आयोजना मंडल की 18वीं बैठक दिनांक 15 मई, 2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

आयोजना मंडल की 18वीं बैठक दिनांक 15 मई, 2023 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

105/03 विश्वविद्यालय के निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के अनुरूप नियुक्ति शर्ते एवं योग्यता के मापदंडों के अनुसार सी0ए0एस0 सम्बन्धी गाईडलाईन को राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् लागू करने एवं इस हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रबंध मंडल की 100वीं बैठक में निर्णय संख्या 100/01 एवं 103वीं बैठक के निर्णय संख्या 103/02 के क्रम में निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को शिक्षकों पुस्तकालयध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों आदि की भांति वर्ष 2018 से सी0ए0एस0 (CAS) के अर्न्तगत पदौन्नति/वेतन अभिवृद्धि के लिए IGNOU में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार तैयार मानदण्डों एवं प्रपत्रों का अनुमोदन किया गया।

यह भी निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राजभवन को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी को IGNOU नई दिल्ली कार्यालय जाकर इन मानदण्डों का मूल्यांकन/ जानकारी करवा ली जाए।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय के निदेशक, क्षे0केन्द्रों को सी0ए0एस0 का लाभ दिए जाने हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत पैनल का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

105/04 आयोजना मंडल में प्रबंध मंडल द्वारा एक सदस्य को दो वर्ष के लिए मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव।

आयोजना मंडल में प्रबंध मंडल के मनोनीत सदस्य के रूप डा0 अनिल कुमार जैन को आयोजना मंडल का सदस्य मनोनीत किया गया।

105/05 प्रबंध मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य को वित्त समिति का सदस्य दो वर्ष अथवा प्रबंध मंडल में कार्यकाल पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य को वित्त समिति का सदस्य दो वर्ष अथवा प्रबंध मंडल में कार्यकाल पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) की अवधि के लिए प्रो0 बी0 अरूण कुमार को वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने का निर्णय किया गया।

टेबिल एजेंड संख्या 105/06

निर्धारित कार्यसूची विवरण पर उपरोक्त निर्णयों के बाद सदन के समस्त सदस्यगणों की सहमति से आडिट आक्षेप के सम्बन्ध में एक टेबिल एजेंडा को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार निर्णय किया गयाः—

कुलसचिव द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन को अवगत करया गया कि निरीक्षण विभाग द्वारा की गई विशेष जांच के प्रतिवेदन वर्ष 1995—96 में निम्नलिखित अनुच्छेदों में अधिक/अनियमित व्यय दर्शाया गया है। चूंकि आक्षेप लगभग 30 वर्ष पुराने है इसलिए वसूली व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हैः—

अ. **अनुच्छेद संख्या 46(वर्ष 1995—96) I एवं II** :— कुलपति महोदय के प्रशासनिक सचिव श्री सी0बी0 गैना को दिनांक 02.09.1991 को अग्रिम राशि रू0 10000/—रू में से रू0 7057.65/— को अनियमित मानते हुए वसूली अथवा प्रबंध मंडल से नियमित/स्वीकृत कराये जाने का सुझाव दिया गया हैं।

चूंकि श्री सी0बी0 गैना की मृत्यु हो चुकि है तथा व्यय कुलपति सचिवालय आने वाले अतिविशिष्ट अतिथियों के सत्कार पर किया गया है। अतः सदन द्वारा अधिक व्यय राशि रू0 7057.65/— को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया।

ब. **अनुच्छेद संख्या 51 (वर्ष 1995—96)(क)—** डा0 के0के0 राय, सचिव, कुलपति कार्यालय को प्रदत्त अग्रिम रू0 400000/—(चालीस हजार) समायोजन में अनियमित भुगतान। प्रबंध मंडल सदस्यों को आवास किराए एवं टैक्सी किराये के कारण वसूली योग्य राशि रू0 17174.00।

स. **अनुच्छेद संख्या 51(वर्ष 1995—96)(ख)—**सहायक कुलसचिव एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के चयन हेतु आमंत्रित सदस्यों को अधिक भुगतान रू0 6293.80/— ।

प्रकरण विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित चयन समिति सदस्यों के आवास, भोजन, टैक्सी किराया आदि पर व्यय से संबंधित है साथ ही प्रकरण बहुत पुराना भी है तथा तत्समय आमंत्रित चयन समिति के सदस्यों से वसूली किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 51(क) में सम्मिलित अधिक व्यय राशि रू0 17174/— तथा अनुच्छेद 51(ख) में सम्मिलित राशि रू0 6293.80/— को अपलिखित करने का निर्णय किया गया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

26/5/23

कुलसचिव
सचिव, प्रबंध मंडल

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

क्रमांकः–वमखुविवि/कुस/23/214

दिनांकः– 14/06/2023

संशोधन

दिनांक 26 मई 2023 को आयोजित प्रबंध मंडल की 105वीं बैठक के निर्णय संख्या 105/06 के बिंदु संख्या "अ" में निम्नानुसार अंकित किया गया है:–

अ. **<u>अनुच्छेद संख्या 46(वर्ष 1995–96) I एवं II</u>** :– कुलपति महोदय के प्रशासनिक सचिव श्री सी0बी0 गैना को दिनांक 02.09.1991 को अग्रिम राशि रू0 10000/– में से रू0 7057.65/– को अनियमित मानते हुए वसूली अथवा प्रबंध मंडल से नियमित/स्वीकृत कराये जाने का सुझाव दिया गया हैं।

चूंकि श्री सी0बी0 गैना की मृत्यु हो चुकि है तथा व्यय कुलपति सचिवालय आने वाले अतिविशिष्ट अतिथियों के सत्कार पर किया गया है। अतः सदन द्वारा अधिक व्यय राशि रू0 7057.65/– को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय में सहूवन से अनुच्छेद का वर्ष **1994–95 के स्थान पर 1995–96** अंकित हो गया है, अतः निर्णय मे **"अनुच्छेद संख्या 46 (वर्ष 1995–96) I एवं II के स्थान पर अनुच्छेद संख्या 46 (वर्ष 1994–95) I एवं II पढा जावे।"**

उक्त संशोधन माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

14/6/23

कुलसचिव
एवं सचिव
प्रबंध मंडल

प्रतिलिपी आवश्यक कार्यवाही /सूचनार्थ :–

1. सचिव,कुलपति सचिवालय,वमखुविवि, कोटा।
2. समस्त सदस्य प्रबंध मंडल वमखुविवि।
3. नियंत्रक वित्त वमखुविवि,कोटा।

14/6/23

कुलसचिव